दिल्ली सरकार राजपत्र भाग–4 असाधरण संकल्प में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

सं0 एफ 12/04/2011/प्र.सु./1630-1789/C दिनांक 27/02/12

सं0 एफ 12/04/2011/प्र.सु./ .–जबकि प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम संघीय सरकार एवं अन्य नामक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 1996 की डब्लू.पी. (सी) सं0 310 में दिये गये निर्देशों का क्रियान्वयन करने के लिये भारत सरकार के पूर्वानुमोदन से दिनांक 17.11.2011 के पत्र संख्या 14040/127/2010–UTP द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने यह निर्णय सूचित किया था कि दिनांक 30.7.1998 की अधिसूचना संख्या 4/14/94–प्र.सु. द्वारा यथासंशोधित दिनांक 25.09.1997 की अधिसूचना संख्या 4/14/94–प्र.सु. में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा स्थापित लोक शिकायत आयोग की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का विस्तार किया जाये ताकि इसके अंतर्गत उक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथानिर्देशित जन साधारण की दिल्ली पुलिस से संबंधित शिकायतों की भी सुनवाई हो सके ।

अतः अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, उक्त निर्देशों के अनुपालन में समय–समय पर यथासंशोधित उक्त संदर्भित अपने संकल्प में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, जो तत्काल प्रभावी होगें, अर्थात्:–

संशोधन

समय–समय पर यथासंशोधित दिनांक 25/09/1997 के संकल्प संख्या 4/14/94–प्र. सु. के–

1. पैराग्राफ 1 में शब्द "और इस प्रकार की शिकायतों के निवारण के लिये यथावश्यक कार्यवाही की सिफारिश करे" के बाद और शब्द "इस समय आयोग दिल्ली शासन के प्रशासनिक सुधार विभाग से सम्बद्ध है" से पहले, शब्द "जन शिकायत निवारण आयोग को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के स्थान पर नए पुलिस अधिनियम के आने तक, किसी अन्तरिम व्यवस्था के होने तक, दिल्ली पुलिस के विरूद्ध शिकायतों की सुनवाई के प्रयोजनार्थ पुलिस शिकायत प्राधिकरण इसके पश्चात्, "प्राधिकरण" के रूप में भी कहा जाएगा", सन्निविष्ट किए जाएंगे।

2. पैराग्राफ 2 में खण्ड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"अध्यक्ष महोदय को समय–समय पर ग्राह्य भत्तों सहित 80000 रूपये प्रतिमाह के नियत वेतन का भुगतान किया जायेगा । आगे शर्त यह है कि यदि अध्यक्ष अपनी नियुक्ति के समय पेंशन (अपंगता या युद्ध पेंशन के अलावा) प्राप्त कर रहा है तो भारत सरकार के अंतर्गत या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी पूर्ववर्ती सेवा संबंधी उसके वेतन में, आयोग में उसकी सेवा का ध्यान रखे बिना पेंशन की राशि घटायी जाएगी। पूर्णकालिक सदस्यों को समान शर्तों के अनुसार समय–समय पर ग्राह्य ऐसे भत्तों सहित 80000 रूपये प्रतिमाह का नियत शुल्क का भुगतान किया जायेगा। दो अंशकालिक सदस्यों को 25000 रूपये प्रतिमाह का निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा । अध्यक्ष तथा सदस्यों (अंशकालिक सदस्यों सहित)

की अन्य शर्तें तथा सेवा शर्तें भारत सरकार में समतुल्य पद रखने वाले अधिकारियों पर लागू शर्तों के समान होगी।"

3. पैराग्राफ 2 (ख) में "शक्तियां तथा कार्य" शीर्षक के अंतर्गत खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खण्डों को सन्निविष्ट किया जायेगा अर्थात :–

"(5) (क) पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य निम्न प्रकार होंगे :–

(i) पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्य निम्न प्रकार होंगे :–

पुलिस कर्मियों के विरूद्ध नीचे बताये गये "गंभीर कदाचार" के आरोपों की या तो स्वप्रेरित या निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति से प्राप्त शिकायत पर जांच करना :–

(क) पीड़ित या पीड़ित की तरफ से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा ;

(ग) पुलिस; या

(घ) किसी अन्य स्रोत से।

स्पष्टीकरणः "गंभीर कदाचार" का अर्थ इस उप–खण्ड के लिये पुलिस अधिकारी का ऐसा कार्य या चूक, जिसका परिणाम हो सकता है:

(क) पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु;

(ख) भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 320 में यथा–परिभाषित गंभीर चोट;

(ग) बलात्कार या बलात्कार करने का प्रयत्न;

(घ) अपेक्षित कानूनी प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या कैद;

(ड.) फिरौती;

(च) भूमि/मकान हड़पना; या

(छ) अधिकार के दुरूपयोग संबंधी कोई अन्य घटना:

उपबंध है कि प्राधिकरण ऐसी गिरफ्तारी या कैद की शिकायत की केवल तभी जॉच करेगा, यदि उसे प्रथम दृष्टया शिकायत की गंभीरता पर विश्वास है ।

(ii) प्राधिकरण, प्रशासक/केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गये किसी अन्य मामले की भी जॉच करेगा ।

(5) (ख) पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियां इस प्रकार होंगी :–

(i) प्राधिकरण किसी व्यक्ति या अधिकारी को ऐसे मुद्दों या मामलों पर सूचना देने के लिये कह सकता है, जो प्राधिकरण की राय में जांच की विषय–वस्तु के संदर्भ में उपयोगी है ।

(ii) प्राधिकरण, अंतिम राय देने से पहले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में पुलिस बल का नेतृत्व करने वाले पुलिस अधिकारी को विभाग की राय तथा अतिरिक्त तथ्यों को प्रस्तुत करने का अवसर देगा, यदि प्राधिकरण की सूचना में पहले से नहीं है और ऐसे मामलों में प्राधिकरण, पुलिस बल का नेतृत्व करने वाले पुलिस अधिकारी से ऐसी अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने पर, जिसका मामले पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अपने निष्कर्ष की समीक्षा कर सकता है ।